न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 204/2012

1 भगवाना पुत्र चन्द्राराम।
2 जगदीश पुत्र चन्द्राराम समस्त जाति बलाई निवासीगण बनाथला तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 छीतर पुत्र भोमा।
2 धोकल पुत्र भैरू (फौत)।
2/1 जगदीश पुत्र छोकलराम।
2/2 मदन पुत्र छोकलराम।
2/3 रघुनाथ पुत्र छोकलराम निवासीगण बनाथला तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2/4 पतासी देवी पत्नी भगवान सहायक पुत्री धोकलराम निवासी बनाथला तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल निवासी ग्राम दांतला पोस्ट खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 बल्ला (फौत) पुत्र भैरू।
3/1 बिरदीचन्द पुत्र बल्ला।
3/2 रूकमा देवी पुत्री बल्ला।
3/3 श्योकोरी देवी पुत्री बल्ला।
3/4 दुर्गा देवी पुत्री बल्ला।
4 नारायणलाल (फौत) पुत्र भैरू।
4/1 प्रितम पुत्र नारायणलाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

4/2 ममता देवी पुत्री नारायणलाल।
4/3 बनारसी देवी पुत्री नारायणलाल।
5 भागू पुत्र भैरू।
6 हणमान पुत्र मोती।
7 मूला (फौत) पुत्र मोती।
7/1 पांचूराम पुत्र मूला।
7/2 मुकेश पुत्र मूला।
7/3 देवीलाल पुत्र मूला।
7/4 हीरा देवी पुत्री मूला।
7/5 लिछमा देवी पुत्री मूला निवासीगण ग्राम बनाथला तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 हणमान पुत्र मोती।
9 कन्हैयालाल पुत्र मोती।
10 केशर पुत्र रेखाराम।
11 मीरा बेवा गणपत समस्त निवासीगण बनाथला तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
12 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2012
विद्वान उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ एम.आर.
बगड़िया आर.ए.एस. दावा संख्या 951/2002 बउनवानी
भगवाना आदि बनाम छीतर आदि दावा बाबत इस्तकरार
हक हुक्म इम्तनाई दवामी दुरूस्ती इन्द्राजात व दावा संख्या
960/2002 बउनवानी छीतरमल बनाम भगवानाराम आदि

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र पारीक, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—14.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 951/2002,960/2002 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुआ है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा इस्तकरार हक, हुक्म इम्तनाई दवामी व दुरूस्ती इन्द्राजात का प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम बनाथला तहसील दांतारामगढ़ की तन में भूमि खसरा नम्बर 313 पुराना जिसके नये खसरा नम्बर 828 रकबा 0.85 हैक्टेयर अवस्थित है। पुराना जिसके नये खसरा नम्बर 828 रकबा 0.85 हैक्टेयर में से 3 बीघा पुख्ता भूमि अपीलांट को देने बाबत एक लिखावट राजी खुशी दिनांक 08.08.1996 को अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर दी और उक्त खसरा नम्बर से प्रतिवादीगण ने 3 बीघा पुख्ता भूमि में से अपना कब्जा हटाकर अपीलांट का वास्तविक कब्जा करवा दिया। दिनांक 09.02.1996 से अपीलांट उपरोक्त भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि में अपीलांट उपरोक्त भूमि पर उक्त भूमि में अपीलांट ने अपने आवासीय मकान बना रखे है और इस भूमि में मय परिवार आवास निवास करते चले आ रहे है तथा अपीलांट को उक्त भूमि का काबिज काश्तकार, खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 का नाम जमाबंदी से हजफ किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण/अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने के आदेश फरमावे, माननीय अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 05.07.2012 को

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अपीलांट का दावा संख्या 951/2002 खारिज फरमाया दिया तथा डिक्री पारित की गयी तथा उसी निर्णय व डिक्री से दावा संख्या 960/2002 को भी निर्णय करते हुये रेस्पोडेंट/अपीलांट का दावा खारिज फरमाया दिया गया, दोनों प्रकरणों का एक साथ निर्णय करने के कारण अपील अपीलांट द्वारा एक साथ प्रस्तुत की जा रही है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दिनांक 09.02.1996 को विवादित भूमियां अपीलांट को बाहमी बंटवारे में सौप दी गई थी तब से अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 05.09.2001 एवं लिखावट दिनांक 08.08.1996 पर विचारण न्यायालय ने कोई विचार अथवा विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इन्ही भूमियों के बाबत रेस्पोडेंट छीतर के विरूद्व आपराधिक प्रकरण भी चला है। इस पर भी विचारण न्यायालय ने कोई विचार अथवा विवेचन विचाराधीन निर्णय में नही किया है। विचारण न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया जो विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन रहा है कि दिनांक 09.02.1996 को विवादित भूमियां अपीलांट को बाहमी बंटवारे में सौप दी गई थी तब से अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 05.09.2001 एवं लिखावट दिनांक 08.08.1996 पर विचारण न्यायालय ने कोई विचार अथवा विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इन्ही भूमियों के बाबत रेस्पोडेंट छीतर के विरूद्व आपराधिक प्रकरण भी चला है। इस पर भी विचारण न्यायालय ने कोई विचार अथवा विवेचन विचाराधीन निर्णय में नही किया है। विचारण न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया जो विधि विरूद्व है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट, लिखावट एवं आपराधिक प्रकरण का वाद के सन्दर्भ में परीक्षण व विवेचन कर प्रकरण में पुन गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर